पुलिस आदेश संख्या २४३/९४

विषय :– आरक्षी निरीक्षक स्तर तक पदस्थापन एवं स्थानान्तरण।

स्थानांतरण एवं पदस्थापन के विषय पर पुलिस हस्तक के प्रावधानों के अतिरिक्त पुलिस आदेश १०५ तथा २१६/९० में दिये गये निर्देशों के अलावा पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्या [illegible]/पी-२ दिनांक २२-११-९३ तथा ज्ञापांक [illegible] दिनांक [illegible] में भी कुछ निर्देश दिये गये हैं। इन प्रावधानों के स्पष्टीकरण एवं विस्तारण में निम्नांकित सिद्धान्त निर्धारित किये जाते हैं।

२. प्रशासन एवं शासन के अनुशासन के लिए पदस्थापन एवं स्थानान्तरण का क्या महत्व है, इसका विश्लेषण करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

३. आरक्षी हवलदार, स० अ० नि०, अ० नि० आरक्षी निरीक्षक कोटियों के कर्मियों/पदाधिकारियों के पदस्थापन/स्थानांतरण के आदेश पुलिस मुख्यालय से नहीं निर्गत किये जायेंगे। इस तरह के आदेश पुलिस मुख्यालय से केवल प्रशासनिक, अनुशासनिक अथवा अनुकम्पा के आधार पर ही निर्गत किये जायेंगे और अपवाद स्वरूप होंगे।

४. प्रशासन एवं अनुशासन के हित में यह आवश्यक है कि स्थानान्तरणों के आदेश पूरे सोच-विचार के बाद किये जायें और एक बार निर्गत आदेश में बिना कोई विशेष कारण हुए रद्दो-बदल नहीं किया जाए। स्थानांतरणों के आदेश में रद्दो-बदल का अनुशासन पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वह सबको मालूम है। अतएव ऐसे आदेश विशेष कारणों से अपवादस्वरूप ही निर्गत करना वांछनीय होगा।

५. इसी अनुसार आदेशित स्थानांतरणों का अविलम्ब कार्यान्वयन भी वांछनीय है। स्थानांतरित पदाधिकारियों के अभ्यावेदन की वजह से आदेशित स्थानान्तरण में विलम्ब या स्थगन ***नहीं*** किया जाये। यदि स्थानांतरित कर्मी/पदाधिकारी विरमित होने के बाद अपने नई जगह पर योगदान देने में आनाकानी करते हैं, तो उसके विरुद्ध सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जाये। स्थानांतरित पदाधिकारियों के अभ्यावेदन पर पदस्थापन के नये जगह पर योगदान देने के बाद ही विचार किया जाये।

जैसा कि पुलिस आदेश सं० [illegible] की कंडिका-[illegible] में अंकित किया गया है स्थानांतरण/पदस्थापन के आदेश का अनुपालन आदेश प्राप्ति के १५ दिनों के अन्दर हो जाना चाहिए। नियंत्रण पदाधिकारी द्वारा स्थानांतरित पुलिसकर्मी को बगैर उसके प्रतिस्थानी का इन्तजार किये १५ दिनों के अन्दर विरमित कर दिया जाना चाहिए तथा उसका अंतिम वेतन निकासी पत्र दे दिया जाना चाहिए।

पिछले कुछ समय से स्थानान्तरण के जो आदेश दिये जाते हैं उनके अनुपालन की समय सीमा का ख्याल नहीं रखा जाता है और उपरोक्त अंकित अवधि में स्थानांतरित पदाधिकारियों को विरमित नहीं किया जाता है समय सीमा का अनुपालन नहीं होने से आदेशित स्थानांतरण/पदस्थापन में संशोधन परिवर्तन या रद्द करने के लिए विभिन्न प्रकार की पैरवी एवं दबाव उच्चाधिकारियों पर पड़ने लगता है।

सभी आरक्षी अधीक्षकों/क्षेत्रीय उप-महानिरीक्षक/प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक से अनुरोध है कि पदस्थापन/स्थानांतरण के अनुपालन को १५ दिनों की सीमा पर अनिवार्य रूप से पालन किया जाये। यह पूरी तरह स्पष्ट किया जा रहा है और पूरे जोर के साथ आदेशित किया जाता है कि स्थानांतरण/पदस्थापन के अनुपालन की समय सीमा का पूर्णतया ध्यान रखा जाये। जिन मामलों में इसका उल्लंघन होगा उसमें उच्च पदाधिकारी के विरुद्ध प्रतिकूल नोटिश ली जायेगी और संबंधित पुलिसकर्मी पर सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

६. अगर पदाधिकारी प्रस्थान प्रतिवेदन समर्पित कर दें और नये पदस्थापन स्थल पर योगदान नहीं करते हैं तो नये पदस्थापन स्थल के आरक्षी अधीक्षक इसकी सूचना विरमित करने वाले आरक्षी अधीक्षक को दें कि उन्होंने समय सीमा के अन्दर उक्त स्थान में योगदान नहीं किया है। वैसी परिस्थिति में विरमित करने वाले

आरक्षी अधीक्षक उक्त स्थानांतरित पदाधिकारी के विरुद्ध निलंबन आदेश पारित कर उनके ऊपर अपने स्तर में विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करेंगे।

पैरवी करने वाले पदाधिकारी और ऐसे पदाधिकारी जिनके लिए पैरवी की जाती है, दोनों ही बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली के उल्लंघन के लिए अनुशासनिक कार्रवाई के पात्र हैं।

जैसा कि परिपत्र ज्ञापांक ६११२/पी-२ दिनांक १-१२-९३ की कंडिका-३, ४, ५ एवं ६ में अंकित किया गया है जिला के अन्दर एवं अन्तर-जिला तथा अन्तर-क्षेत्रीय एवं अन्तर-प्रक्षेत्रीय स्थानांतरण इन कंडिकाओं में अंकित प्रावधानों के अनुसार किये जायेंगे।

ऐसा कहा गया है और ध्यान में भी आया है कि अन्तर-प्रक्षेत्रीय स्थानांतरण पर स्थानांतरित पदाधिकारी को पहले प्रक्षेत्र, तत्पश्चात क्षेत्र उसके बाद जिला में योगदान [illegible] प्रक्षेत्रीय, क्षेत्रीय एवं जिला आदेश निर्गत होने में समय लग जाता है और स्थानांतरित [illegible] है। इस समस्या के निराकरण में यह निर्देशित किया जाता है कि सभी अन्तर-प्रक्षेत्रीय [illegible] की अध्यक्षता में गठित आरक्षी महानिरीक्षकों की समिति की [illegible] जायेंगे। पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत किये जाने के [illegible] प्रक्षेत्रीय एवं क्षेत्रीय आदेश तुरंत निर्गत कर दिये जाने [illegible] असुविधा हो।

७. आरक्षी निरीक्षक से सहायक अवर निरीक्षक के [illegible] की अवधि तक नहीं रखे जायें। हवलदार और [illegible] निरीक्षक से आरक्षी के कोटि के पदाधिकारी के एक क्षेत्र में [illegible] आठ वर्ष मानी जायेगी। परिपत्र ज्ञापांक ६११२/पी-२ दिनांक १-१२-९३ की [illegible] आदेशित किया जाता है कि [illegible] कुल सेवा सभी रैंक मिलाकर ***दस साल*** की अवधि [illegible] तथा उनका स्थानांतरण किसी ऐसे प्रक्षेत्र में किया जाये जहाँ वे पूर्व में कार्यरत नहीं थे।

ऐसे पदाधिकारी या पुलिसकर्मी जो एक या अनेक प्रक्षेत्र/प्रक्षेत्रों के अन्तर्गत सभी पद मिलाकर ***लगातार*** जिला पुलिस में दस वर्षों की सेवा पूरी कर चुके हों, उनका स्थानांतरण अपराध अनुसंधान विभाग, विशेष शाखा आदि में किया जाये। अपराध अनुसंधान विभाग, विशेष शाखा आदि में कार्य अवधि सामान्य रूप से तीन साल मानी जायेगी बशर्ते कि जिला पुलिस में स्थानांतरण करने के लिए रिक्तियाँ हों। अगर रिक्तियों के अभाव में तीन साल की अवधि पूरी होने पर जिला पुलिस में स्थानांतरण सम्भव नहीं होगा तो अपराध अनुसंधान विभाग/विशेष शाखा आदि में कार्यरत पदाधिकारी/पुलिसकर्मी का स्थानांतरण जिला पुलिस बल में रिक्तियाँ उपलब्ध होने पर अपराध अनुसंधान विभाग/विशेष शाखा से जो सबसे लम्बी अवधि के लिए रहे हैं उसके क्रमानुसार किया जायेगा।

८. जैसा कि सर्वविदित है, आरक्षी/हवलदार/स०अ०नि०/अ०नि०/आरक्षी निरीक्षक कोटियों में रिक्तियां हैं। अतएव स्वीकृत बल से अधिक कर्मियों अथवा पदाधिकारियों का कहीं पदस्थापन का कोई औचित्य नहीं बनता है। इस बात को विशेष कर सहायक अवर निरीक्षक/अवर निरीक्षक/आरक्षी निरीक्षक कोटियों के लिए ध्यान में रखा जाये।

किसी जगह विशेष पर स्वीकृत बल से अधिक सहायक अवर निरीक्षक/अवर निरीक्षक/आरक्षी निरीक्षकों का पदस्थापन बगैर नियंत्रण पदाधिकारी यथा उप-महानिरीक्षक/प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक का आदेश लिये मान्य नहीं होगा। ऐसे आदेश की प्रतिलिपि पुलिस मुख्यालय को सूचनार्थ अनिवार्य रूप से भेजी जाये।

यह पहले ही निर्देशित कर दिया गया है कि सिविल जमादार/सिविल सूबेदार के रिक्तियों के विरुद्ध अवर निरीक्षकों/आरक्षी निरीक्षक का समंजन मान्य नहीं होगा। उनका वेतन इन रिक्तियों के विरुद्ध नहीं निकाला जाये। इसका उल्लंघन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा और निकासी करने वाले पदाधिकारी के विरुद्ध कारवाई की जायेगी।

महानिदेशक-सह-आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार, पटना ।

दिनांक २१-१२-९४

ज्ञापांक ३३३३/स्था०

प्रतिलिपि—अपर महानिदेशक, विशेष शाखा/अपराध अनुसंधान विभाग/तकनीकी सेवायें, बिहार, पटना ।

२. सभी प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक/आरक्षी महानिरीक्षक (प्रशासन)/आरक्षी महानिरीक्षक, विशेष शाखा/आरक्षी महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग (आपरेशन)/क्राईम कन्ट्रोल/आरक्षी महानिरीक्षक, रेलवे पुलिस/आरक्षी महानिरीक्षक, सशस्त्र बल/प्रोविजन/आधुनिकीकरण एवं कम्प्यूटर/आरक्षी महानिरीक्षक, क्राईम रेकर्ड ब्यूरो, बिहार, पटना ।

३. आरक्षी उप-महानिरीक्षक (मुख्यालय)/(प्रशासन), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।

४. सभी क्षेत्रीय उप-महानिरीक्षक [सैन्य पुलिस एवं रेलवे सहित]/उप-महानिरीक्षक [वितंतु]/आरक्षी उप-महानिरीक्षक-सह-प्राचार्य, पी. टी. सी. हजारीबाग/प्राचार्य, सी. टी. एस. नाथनगर/प्राचार्य/टी. टी. एस. जमशेदपुर ।

५. सभी आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक (सैन्य पुलिस सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।

६. सभी आरक्षी अधीक्षक (रेलवे सहित)/सभी समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस ।

७. निबंधक, महानिदेशक-सह-आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।

८. सभी प्रशाखा पदाधिकारी, महानिदेशक-सह-आरक्षी महानिरीक्षक कार्यालय, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।

विजय जैन

महानिदेशक-सह-आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना ।